मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2006 (पौष 16, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 20 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री रामलखन शर्मा,श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा एवं श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य एवं उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या - 16 (क्रमांक 1774) "शिक्षा कर्मी के संबंध में निर्णय" संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान शासन द्वारा शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या16 (क्रमांक 1774) "शिक्षा कर्मी के संबंध में निर्णय" संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान शासन द्वारा शिक्षाकर्मियों का वेतन न बढ़ाये जाने एवं सदन में गलत जानकारी देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 96 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 126 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट के रहते मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने संबंधी सदस्य डॉ. गोविन्द सिह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. सुनीलम्, श्री राजेश पटेल, श्री अजय सिंह, श्रीमती जमुना देवी, श्री राजनारायण सिंह पुरनी, श्री रामनिवास रावत, श्री सत्यदेव कटारे, श्री प्रियव्रत सिंह, श्री रामलखन शर्मा तथा श्रीमती सरोज बच्चन नायक की स्थगन प्रस्ताव की सूचना को शासन के अनुरोध पर चर्चा के लिए ग्राह्य किया गया तथा अध्यक्ष महोदय ने इस पर 3 बजे से चर्चा हेतु समय नियत किया।

3. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री सत्यदेव कटारे,सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि अध्यक्ष महोदय आपने इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर आज शाम के तीन बजे का समय दिया जब कि यह स्थगन पहले से दिया गया था, आज अशासकीय कार्य का दिन है, आप भी जानते हैं, इसको आप कल क्यों नहीं ले सकते थे और कल इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती थी, इससे तो आज अशासकीय कार्य नहीं हो पाएगा।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने इस पर निम्न व्यवस्था दी :- "कल नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी ने इस विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध किया था, मैंने उस अनुरोध को स्वीकार किया और मैं वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के इस पर दिये गये तर्क से सहमत हूं। इस पर कल भी चर्चा हो सकती थी, इस तरह की आपत्ति अप्रासंगिक है, असामयिक है। आपकी दूरदर्शिता उस समय अभिनंदनीय हो जाती, जब कल आप यह प्रस्ताव रखते कि आज अशासकीय दिवस रहेगा, इसलिए कल इस पर चर्चा न कराकर आज ही कराएं. इसलिए आपके औचित्य के प्रश्न को अप्रासंगिक, असामयिक, अव्यवहारिक मानते हुए, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।"

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 41 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है। यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की इंदिरा सागर परियोजना से पुर्नवासित परिवारों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किये जाने,

(2) श्री गजराजसिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले की दिमनी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खडिमाहार में बन्दरों का आतंक होने,

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की मऊगंज जिला रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 के दक्षिण एवं पूर्व का भाग सूखा ग्रस्त एवं सूखा राहत कार्य प्रारंभ किये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 49 कोलार रोड विश्राम गृह के लिये आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण होने,

(5) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य ने भोपाल की तुलसी नगर स्थित नाले पर फर्शीकरण न किये जाने,

(6) श्री शिवराज शाह, सदस्य की मंडला एवं रामबाग पूर्वा के बीच नर्मदा नदी पर झूला पुल का निर्माण किये जाने.

(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत बाबई में ग्राम झालोन में जे.सी.बी.मशीन द्वारा अनेक वृक्षों को काटे जाने,

(8) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लोठवाड़ क्षेत्र में अल्प वर्षा होने के कारण शासन द्वारा राहत कार्य प्रारंभ न किये जाने,

(9) श्री राजेश पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के बाड़ी विकास खण्ड अन्तर्गत गुगल बाड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करने,

(10) श्री दिलिप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा नगर पालिका परिषद् द्वारा शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्र लोगों की नहीं दी जाने,

(11) श्री दिलीप दुबे, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम निमास में बाहुबली मार्बल कम्पनी द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई होने,

(12) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य की भोपाल जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जाति-प्रमाण पत्र न बनाये जाने,

(13) श्री हमीद काजी, सदस्य की बुरहानपुर जिले के खकनार विकासखण्ड अंतर्गत हड़ताल अवधि के दिनों का भुगतान शिक्षकों को न किये जाने,

(14) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य की रतलाम तहसील के ग्राम सरवनी जागीर में भू-जल स्तर नीचे होने एवं स्टाप डेम स्वीकृति उपरांत भी न बनाये जाने,

(15) श्री प्रदीप अमृतलाल, सदस्य की वारासिवनी नगर पालिका क्षेत्रांन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने के बावजूद ट्रेक्टरों व मजदूरों का भुगतान न किये जाने,

(16) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की प्रदेश के आंगन वाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को शासन की ओर से मानदेय एवं सुविधा न मिलने,

(17) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा उत्तर भोपाल क्षेत्र में किये गये डामरीकरण कार्य में अनियमितता होने,

(18) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य की भिण्ड जिले के धनेरा स्थित शाला बन्द होने,

(19) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में स्थित श्क्कर कारखानों द्वारा कृषकों,श्रमिकों का शोषण होने,

(20) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की सरदार सरोवर परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावितों को मुआवजा राशि कम दी जाने,

(21) श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य की जिला बैतूल के आमला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ईट भट्टा व्यवसायियों द्वारा नियम विरूद्ध आदिवासियों की जमीन पर ईट भट्टा का निर्माण किये जाने,

(22) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की विधानसभा क्षेत्र गुढ़ के अंतर्गत आने वाले रायपुर कुर्ज के कुंओं जल स्त्रोंतो का पानी खारा हो जाने,

(23) कुंवर विजय बहादुर बुन्देला, सदस्य की छतरपुर जिले के उपजेल में कैदियों के साथ मिलकर पिटाई की जाने,

(24) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले की बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आश्रम शालाओं में रिक्त पदों को भरे जाने,

(25) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की गुना जिले के ग्राम आवन स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर अन्यत्र लगाये जाने,

(26) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,

(27) डॉ. नारायण परमार, सदस्य की उज्जैन जिला क्षेत्र घट्टिया में उन्हैल जल आवर्धन योजना के अंतर्गत गंभीर नदी पर निर्माण कार्य से आवागमन प्रभावित होने,

(28) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की सीतामऊ से सुवासरा की सड़क घटिया स्तर की बनने,

(29) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में श्योपुर खातोली मार्ग चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृति उपरांत भी न काराये जाने,

(30) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के जामई विधान सभा अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान गारंटी केन्द्र भवनों का निर्माण पूर्ण कराये जाने,

(31) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की भारत सरकार द्वारा लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना अंतर्गत एड्स की रोकथाम प्रचार-प्रसार हेतु दी गई राशि का दुरूपयोग होने,

(32) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम गोपाल पुरा तहसील जौरा का तालाब फूटा हुआ होने से सिचाई कार्य प्रभावित होने,

(33) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य की सीधी जिले में सेवा निवृत्त चालक एवं परिचालक के स्वत्वों का भुगतान न होने,

(34) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी), सदस्य की जिला जबलपुर निवासी पूर्व सरपंच की जघन्य हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने,

(35) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य की कृषि उपज मंडी ब्यौहारी में कर्मचारियों की मिली भगत से व्यापारियों द्वारा कर की चोरी होने,

(36) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में कृषकों से व्यवसायिक दर से बिजली बिल वसूल किये जाने

(37) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो में कार्यरत अनुदेशकों पर्यवेक्षकों को न्यायालय निर्णय के बाद भी सेवा में न लिये जाने से धरना देने

(38) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य की देवास जिले के कुसमानियां,बागली एवं पलासी कन्या आश्रम में कार्यरत कर्मचारियों को कई वर्षों से वेतन न मिलने,

(39) श्री जितेन्द्र, सदस्य की प्रदेश में महिला बाल विकास के कर्मचारियों की कई वर्षों से पदोन्नति न होने,

(40) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले के अंतर्गत पोलाय में अरन्डिया व अरन्डिया से आष्टा सड़क मार्ग जर्जर होने,

(41) श्री अमर सिंह कोठार, सदस्य की उज्जैन शहर का व्यस्ततम टावर चौक क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में होने.

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2003,

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च 2004), तथा

(ग) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

(2) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट, 1950 की धारा 33 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष दिनांक 1.1.2003 - 31.3.2003 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

(3) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 ; एवं

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्र. 1382-एमपीईआरसी-2005, दिनांक 9 जून, 2005
(ख) क्र. 1662-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 12 जुलाई, 2005
(ग) क्र. 1762-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(घ) क्र. 1763-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(ङ) क्र. 1764-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(च) क्र. 1765-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(छ) क्र. 1766-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(ज) क्र. 1767-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(झ) क्र. 1768-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(ञ) क्र. 1769-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई, 2005
(ट) क्र. 1944-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त, 2005
(ठ) क्र. 1945-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त, 2005
(ड) क्र. 1946-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त, 2005

(ढ) क्र. 1947-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त, 2005
(ण) क्र. 2004-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 22 सितम्बर, 2005
(त) क्र. 2315-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 सितम्बर, 2005
(थ) क्र. 2320-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 सितम्बर, 2005
(द) क्र. 2346/म.प्र.वि.नि.आ./05, दिनांक 28 सितम्बर, 2005
(ध) क्रमांक 2371/म.प्र.विनिआ/2005, दिनांक 18.10.2005
(न) क्र. 2559-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005
(प) क्र. 2560-म.प्र.वि.नि.आ /2005, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005
(फ) क्रमांक. 2752.-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 17 नवंबर, 2005; तथा
(ब) क्रमांक. 2506.-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 24 अक्टूबर, 2005.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(5) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, पर्यटन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम,2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा विधान सभा क्षेत्रवार परिणाम वर्ष 2004-2005,

(7) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम,1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002,

(8) श्री तुकोजीराव पवार, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991(क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का दिनांक 30 जून, 2002,दिनांक 30 जून, 2003,एवं दिनांक 30 जून,2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर का दिनांक 1 जुलाई, 2000 से दिनांक 30 जून,2001,दिनांक 1 जुलाई, 2001 से दिनांक 30 जून,2002, दिनांक 1 जुलाई 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तथा दिनांक 1 जुलाई, 2003 से दिनांक 30 जून, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन.

(ग) जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002,

(घ) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 44वां, 45वां, 46वां, एवं 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004,

(ङ) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 30 वां, 31 वां एवं 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 2001 से दिनांक 30 जून,2002 तक, दिनांक 1 जुलाई 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2003 से दिनांक 30 जून, 2004 तक; तथा

(च) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 2001 से दिनांक 30 जून,2002, दिनांक 1 जुलाई 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तथा दिनांक 1 जुलाई,, 2003 से दिनांक 30 जून, 2004,
पटल पर रखे।

6. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित म.प्र. ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक , 1997 (क्रमाक 41सन् 1997) तथा भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन)विधेयक,2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

7. समितियों में सदस्यों का नामनिर्देशन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उपनियम (3) के अधीन क्रमशः वर्ष 2005-2006 तथा 2004-2006 की शेष अवधि में सेवा करने के लिए निम्नांकित समितियों में रिक्त हुए एक-एक स्थान की पूर्ती हेतु उनके सम्मुख अंकित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है :-

1.	विशेषाधिकार समिति	-	श्री दीपक कैलाश जोशी
2.	नियम समिति	-	श्री दुर्गालाल विजय
3.	पुस्तकालय समिति	-	श्री राजेन्द्र शुक्ला
4.	पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति	-	श्री बंशीलाल जाटव
5.	महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति	-	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय
6.	सामान्य प्रयोजन समिति	-	श्री उमाशंकर गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में 33 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।
मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम बिछुहर से एक बालक का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री आरिफ अकील, अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य ने भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों तथा डॉ. सुनीलम् एवं श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर में हड़ताल समाप्त न होने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री रामलखन शर्मा, राजेश पटेल, सदस्य ने मुरैना जिले के जौरा कस्बे में राजनैतिक पार्टी के नेता की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य सहित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा "मुरैना जिले के जौरा कस्बे में राजनैतिक पार्टी के नेता की हत्या होने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(5) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने सहायक होम्यो/आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के समान एक संवर्ग कायम किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) पं. रमेश दुबे, सर्वश्री रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य ने छिन्दवाड़ा शहर के बाजार में हुई डकैती की घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा छिन्दवाड़ा शहर के बाजार में हुई डकैती की घटना से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(7) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर जिले में विद्युत तार की चोरी होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले के गोलगांव में हुए गोलीकांड के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश के विभिन्न जिलों में मोर एवं पक्षियों का अवैध शिकार होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री निशिथ पटेल, सदस्य की जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती चिकित्सालय में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(11) पं हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिला ग्रामीण कृषि विकास बैंक द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(12) पं हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से रायल्टी की चोरी होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(13) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की मैहर उप-जेल में प्रताड़ना से कैदी की मौत होने संबंधी सूचना तथा जेल मंत्री का वक्तव्य।

(14) ठा. राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की खंड़वा जिले के मुंदी नगर स्थित भोज मुक्त विश्वविद्यालय के संचालक द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का वक्तव्य।

(15) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की शहडोल जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अतिशेष सहायक शिक्षकों की पदस्थापना से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्य प्राणियों का शिकार होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के नया गांव एवं उमरी थानान्तर्गत पांच युवकों का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम नेगरी में दलित महिला के साथ बलात्कार एवं मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में गन्ना कृषकों को गुड़ एवं खांडसारी बनाये जाने की रोक से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(21) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में बी.टी. कपास उत्पादक कृषकों को मुआवजा राशि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(22) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री निशिथ पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के गाढ़ा निवासी की जवा थाना परिसर में हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री रामलखन शर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम पटवारा में पशु विक्रेताओं के साथ मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य की शिवपुरी जिले के फूटीवार बांध से सिंचाईं हेतु पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगौन जिले की बड़वाह तहसील में सूखे से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर एवं ठा. सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम पड़रिया खुर्द स्थित आम रास्ते में अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की सीधी जिले में कृषकों की मांग अनुसार खाद एवं बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(29) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की मुरैना जिले के मिहोना कस्बे में एक परिवार पर जानलेवा हमला एवं लूटपाट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की खिलचीपुर एवं जीरापुर क्षेत्र में सूखे से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की जौरा क्षेत्र के कैलारस-पहाड़गढ़ मार्ग पर स्थित नाले पर पुल का निर्माण किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा नगर में एस.एम. होम एप्लाईसेंस कंपनी द्वारा धोखाधड़ी किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम मटली के टोला में जहरीली शराब पीने से आदिवासियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन), सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) ग्राम कंधैली से टिकरिया तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम बिलपुरा में मजरा सिहारन में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम मुरेडी में पारग नदी पर रिटर्निंग वाल बनाये जाने, तथा

(ख) विजयपुर नगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवन बनाये जाने,

(3) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम मोहगांव से मुंगनापार तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम तीगांव से बाड़ेगांव तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम मोहगांव - महोडोगरी तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,

(घ) ग्राम करव्हार से पांढुर्णा तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,तथा

(ङ) ग्राम खेड़ीकलां पहुंच मार्ग का उन्नयन कराये जाने,

(4) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य की सीहोर जिले के ग्राम नानकपुर से देवनखेड़ी तक सड़क बनाये जाने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम झिरमिरा में ट्रांसफार्मर लगाये जाने, तथा

(ख) ग्राम राजला स्थित प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम सांईखेड़ा व पिटरास के मध्य पुलिया बनाये जाने,तथा

(ख) ग्राम इमलिया व अमाड़ा के मध्य ऊपर नदी पर पुल बनाये जाने,

(7) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य की होशंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन पगढाल से बस स्टेण्ड पगढाल तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(8) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम धामनोद स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(9) श्री राजेश पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम देहरी कला में विद्युत सब स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम जागपुर में हाईस्कूल खोले जाने,तथा

(ख) ग्राम कायदी में उर्दू स्कूल खोले जाने,

(11) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले के -

(क) ग्राम पंधाना से आरूद तक एवं पंधाना से निहालवाड़ी तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने,तथा

(ख) ग्राम आरूद में विद्युत उप केन्द्र स्थापित किये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

11. घोषणा

अध्यक्ष मोहदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि उन्होने मध्यप्रदेश माखनलाल, चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (संस्थान) संशोधन विधेयक, 2006 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा की नियमावली के नियम 65 (1) तथा स्थाई आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर उक्त विधेयक, 2006 को आज ही सदन में पुरःस्थापित करने तथा उस पर विचार करने की अनुमति प्रदान की है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जन संपर्क मंत्री ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मोटरयान (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मोटरयान (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जन संपर्क मंत्री ने प्रस्ताव किया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 48 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जन संपर्क मंत्री ने प्रस्ताव किया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(1.45 बजे से 3.02 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

13. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहन द्वारा उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट के रहते मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री गौरीशंकर बिसेन की उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(4) श्री कैलाश चावला
(5) डॉ. सुनीलम्
(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री
(7) श्री राजेश पटेल
(8) श्री बृजेन्द तिवारी
(9) श्री अजय सिंह "राहुल भैया"
(10) श्री अखण्ड प्रताप सिंह
(11) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(12) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़
(13) श्री रामनिवास रावत
(14) श्री दुर्गालाल विजय
(15) श्री सत्यदेव कटारे
(16) श्री रूस्तम सिंह, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
(17) श्री प्रियव्रत सिंह
(18) श्री रामलखन शर्मा
(19) श्री शंकरलाल तिवारी
(20) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री
(21) श्रीमती सुधा जैन
(22) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(23) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

14. व्यवस्था

अध्यक्ष मोहदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि फरारी की कार्यवाही तभी होती है, जब दंड प्रकिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अंतर्गत उद्घोषणा प्रकाशन एवं सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिना किसी सूचना, जानकारी और बिना विधिवत फरारी की कार्यवाही के फरार कहना मैं उचित नहीं मानता इसलिए आज के इस स्थगन प्रस्ताव पर जितनी भी कार्यवाही में मुख्यमंत्री के फरार होने की बात कही गई है, उसे मैं विलोपित करता हूं

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश के "मुख्यंमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट के रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने संबंधी स्थगन प्रस्ताव के मामले पर उठाये गये मुद्दों पर शासन का जबाब न मिलने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

15. विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके पास निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन है :-

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य विधानसभा द्वारा श्री मनीष अग्निहोत्री, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त भोपाल, संपादक राज्य की नई दुनिया, संपादक दैनिक जागरण, प्रतिनिधि हिन्दुस्तान टाइम्स, समाचार-पत्रों एवं "आज तक" टी.व्ही. चैनल के विरूद्ध।

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य विधानसभा द्वारा कार्यपालन यंत्री, गाडरवारा तथा अधीक्षण यंत्री नरसिंहपुर के विरूद्ध।

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य विधानसभा द्वारा थाना हनुमना जिला रीवा के टी.आई., ए.एस.आई. तथा प्रधान आरक्षक के विरूद्ध।

16. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किये गये :-

मध्यप्रदेश की बारहवीं विधानसभा का यह सातवां सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। 23 दिसम्बर से प्रारम्भ इस सत्र में छह बैठकें हुई। सर्वसम्मति से सदन की पांच बैठकें निरस्त की गई किन्तु छह दिवसीय बैठकें कार्य निष्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहीं। इस सत्र में अनेक विधायी, वित्तीय और लोक महत्व के कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में कुल 2273 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें 1376 तारांकित एवं 897 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की 454 सूचनाएं प्राप्त हुई। कुल 121 याचिकाएं प्राप्त हुई।

इस सत्र में सदन ने वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक को अपनी स्वीकृति दी वहीं 10 शासकीय विधेयक पारित किए गए। सदन में नियम 139 के अधीन एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न सभा समितियों के अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये।

कार्यों की यह बहुलता इस बात की प्रतीक है कि इस सदन के माननीय सदस्यगण प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए सक्रिय, सजग और प्रतिबद्ध है। यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि समग्र रूप से यह विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों तथा परंपराओं की स्थापना और उन्नयन के लिए वचनबद्ध है। संसदीय कार्य प्रणाली में लोगों की आस्था एवं विश्वास बनाए रखने का दायित्व विधायी सदनों और उसके सदस्यों का ही होता है। इस दृष्टि से हम सभी गर्व कर सकते हैं कि हमारी विधानसभा का अतीत और वर्तमान उपलब्धियों से परिपूर्ण है। मुझे यह भी विश्वास है कि हम सभी भविष्य के लिए भी अपने कार्याचरण से भावी पीढ़ी को एक समृद्ध संसदीय विरासत और संस्कृति सौंपेंगे।

यह पवित्र सदन प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसमें प्रदेश की जनता का विश्वास और आशाएं पल्लवित होती हैं। इस मंदिर से जन कल्याण की धाराएं निकलें और जन-जन तक पहुंचे, यही आप हम सबका प्रयास है। चाहे हम किसी भी दल से हों, किसी भी जाति-धर्म के हों, किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही जन कल्याण और प्रदेश का विकास है। अत: विचारों में मतभेद होते हुए भी हमें सहिष्णुता के साथ आपस में सामंजस्य करके जनता के कल्याण में जुटने की आवश्यकता है।

इस सत्र को सफल बनाने में प्रदेश के नवनियुक्त माननीय मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, मानीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुनादेवी, माननीय उपाध्यक्ष श्री हजारीलाल रघुवंशी एवं सभापति तालिका के माननीय सदस्यों तथा सभी दलों के सदस्यों ने मुझे जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

में सत्र काल में सहयोग देने के लिए विधानसभा और शासन के सभी अधिकारियों/कर्मचीरियों और सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देता हूं।

सदन की पल-पल की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मै इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकारों को भी सादर धन्यवाद देता हूं।

नव वर्ष के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी लोगों को अपनी और सदन की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा उनकी खुशहाली की कामना करता हूं।

आशाओं के इस मन्दिर से,
बहे प्रगति की धारा।
सुख सुविधा पहुंचे जन-जन तक,
यह संकल्प हमारा।।

श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, श्री हजारीलाल रघुवंशी उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला, श्री रामलखन शर्मा, श्री मनमोहन शाह बट्टी, श्री हमीद काजी, श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

17. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान हुआ।

18. सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन

7.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.